छत्तीसगढ़ सरकार की खनिज नीति

सोना पाने के लिये जिस तरह से धरती में टटोलना पड़ता है और फिर बड़ी गहराई में से खोद कर निकालना पड़ता है, उसी तरह सत्य की खोज के लिये भी मेहनत करनी पड़ती है। यही हाल छत्तीसगढ़ राज्य की खनिज नीति का है। कहने के लिये तो नीति का उद्देश्य है ''वनों और पर्यावरण की रक्षा करने हेतु खनिजों का उत्खनन, ताकि छत्तीसगढ़ की वंचित जनता को लाभ हो'', परंतु नीति के पन्ने कुछ और ही बताते हैं।

पहले पर्यावरण की बात लें। उद्देश्य में यह ज़रूर लिखा है कि स्थानीय पर्यावरणीय स्थिति को ध्यान में रखा जायेगा, परंतु नीति के दो प्रावधानों में केवल इतना कहा गया है कि पट्टाधारियों तथा जन–सामान्य को ''जागरुक'' किया जायेगा। यह जागरुकता भी वक्षारोपण, मलबा प्रबंधन, तथा मिट्टी संरक्षण तक ही सीमित रहेगी। याने कि पर्यावरण की सरकारी कल्पना में प्रकति के अंतरसम्बंधों (जल, जंगल, जमीन इत्यादि) का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। नीति इस बात की भी पुष्टि करती है कि खाली खदानों को भरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मलबे को बेचा जा सकता है और गड्ढों में मछली पालन हो सकती है।

जहां तक वंचित जनता को लाभांवित करने का सवाल है, नीति के एक भाग में उत्खनन पट्टा देने के सिलसिले में कई प्रावधान दिये गये हैं। जिनके अनुसार उन सहकारी समितियों को, जिनमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, तथा महिला और बेरोज़गार युवक हैं, प्राथमिकता दी जायेगी, विशेष तौर पर जहां ये गरीबी रेखा के नीचे हों। इसके अलावा नीति में एक दो जगह पर लोगों की भागीदारी, स्थानीय जनता के लिये स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधायें, तथा आदिवासी विकास योजना का भी उल्लेख है।

इस प्रकार सरसरी निगाह डालने पर तो लगेगा कि नीति वास्तव में पर्यावरण और गरीबों का बहुत ख्याल करती है। परंतु थोड़ी और गहराई में जाने से ढोल का पोल स्पष्ट हो जाता है क्योंकि नीति पर्यावरण को ''अवरोध'' के रूप में देखती है – ''छत्तीसगढ़ राज्य के गठन का मूल उद्देश्य ही परास्त हो जायेगा यदि वन कानूनों और पर्यावरणीय समस्याओं की प्रतिबंधों की वजह से प्राकतिक संसाधनों का उपयोग न हो सके।'' इसी लिये नीति भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित छूटों का स्वागत करती है, जिसमें लौह अयस्क, मैंगनीज़, सोना, हीरा, ताम्बा, इत्यादि जैसे कीमती खनिजों को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में डाल दिया गया है।

छत्तीसगढ़ नीति का खास निशाना है कि इन खनिजों के निर्यात का धंधा बढ़ेगा और राज्य की आय में इजाफा होगा। इसके लिये राज्य को खनिजों को ढूंढ कर उन्हें विकसित करना पड़ेगा जिसके लिये नीति में प्रयोगशालाओं, तकनीकी प्रशिक्षण, तथा खनिज विभाग द्वारा शोध और खोज की व्यवस्था का उल्लेख है। परंतु नीति में यह भी माना गया है कि खनिज खोजने का काम महंगा पड़ता है। इसलिये ऐसे कार्यों में भी सम्पन्न निजी कम्पनियों की मदद लेना लाज़मी हो जाता है। साथ ही निर्यात बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेने की बात कही गई है। याने कि मूल रूप से छत्तीसगढ़ की खनिज नीति पर्यावरण की सुरक्षा की जगह खनिजों के असीमित दोहन को ही प्रश्रय देने वाली हैं।

फिर ऐसी नीति से किसको फायदा होगा? राज्य की आय तो बढ़ेगी ही, परंतु क्या आम छत्तीसगढ़ी के जेब में भी दो पैसे आयेंगे? जब निजी कम्पनियों और विदेशी पूंजी को प्रोत्साहित करने की बात इतनी साफ है, साथ ही चूना पत्थर को सिमेंट कम्पनियों के लिये आरक्षित किया जा रहा है और ईट बनाने का काम भी कुम्हारों के अधिकार से छीना जा रहा है, तब इस होड़ में क्या छत्तीसगढ़ की वंचित जनता के हाथों कुछ लगेगा? एक तरफ नीति में कहा जा रहा है कि गरीबों को प्राथमिकता दी जायेगी, लेकिन दूसरी तरफ़ यह भी लिखा है कि जो निर्यात के लिये खदान खोलेंगे उन्हीं को पट्टा मिलेगा।

खदान खोलना कोई बायें हाथ का खेल नहीं। उसके लिये भारी पूंजी, तकनीकी जानकारी, सरकारी व्यवस्था से जूझने की हिम्मत और बाज़ार से लेन–देन की काबलियत – सब की ज़रूरत होती है। नीति में ऐसे कई प्रावधान हैं जिनसे गरीबों की क्षमता और हीन हो जायेगी। जैसे कि अब छत्तीसगढ़ सरकार हर खदान और ईंट भट्टे के लिये पूर्व नियोजित राजस्व तय करेगी। और जब तक खदान मालिक राजस्व जमा नहीं करता है तब तक उसके सरकारी बिल का भुगतान नहीं होगा। उसके अलावा नीति में चोरी या बंधुआ/बाल मज़दूरों को नियंत्रित करने के जो प्रावधान हैं वे क्या अमीरों के खिलाफ उपयोगी होंगी? क्योंकि जो विशेष समिति नीति के क्रियांवन के लिये बनाई जायेगी उसका ध्यान इसी पर रहेगा कि राज्य का कोष बढ़ेगा कि नहीं।

मोटे तौर पर कहा जाये तो छत्तीसगढ़ की खनिज नीति देश की सम्पदा को खुलेआम बेचने की साजिश में एक और कड़ी है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के बहाने प्राकतिक धरोहर गरीबों के हाथ से छीन कर अमीरों को सौंपा जा रहा है। ''जिसकी लाठी, उसकी भैंस'' के सिद्धांत को नीति का कानूनी जामा पहनाया गया है। और असली मकसद को छुपाने के लिये मुखौटे पर लिखा है ''गरीबों का भला हो।'' ऐसी नीति से न ही पर्यावरण सुरक्षित रह पायेगी और न ही वंचित छत्तीसगढ़ी को कोई राहत मिलेगी।

दुनु राय
अगस्त 2004